न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 786-पाँच/01 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.01.2001 पारित व्दारा – अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना – प्रकरण क्रमांक 65/1998–99 अपील

रामबाबू पुत्र कंचन सिंह लोधी
ग्राम सिरमिती तहसील व जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)

(अनावेदक के पैनल लायर श्री डी.के. शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 15–10–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 65/1998–99 अपील में पारित दि. 11.01.01 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक के आवेदन पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 239 के अंतर्गत तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 9/88–89 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 20.6.89 से ग्राम सिरमिती स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 466 रकबा 2 वीघा 5 विसवा एंव सर्वे क्रमांक 470 रकबा 15 विसवा पर वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान की गई थी, किन्तु उक्त भूमि पर आवेदक ने वृक्षारोपण न करके सरसों की

फसल लेना प्रारंभ कर दिया तथा शेष कुछ भाग पड़ता पड़ा रहा। राजस्व निरीक्षक वृत्त-3 मुरैना ने तदाशय की रिपोर्ट नायब तहसीलदार मुरैना को प्रस्तुत की, जिस पर से आवेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 29/1990-91 बी 121 दर्ज किया गया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 24-7-91 पारित किया तथा वृक्षारोपण अनुमति आदेश दिनांक 20.6.89 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 17/94-95 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 19.1.1999 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 65/1998-99 अपील में पारित दि. 11.01.01 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा कलेक्टर मुरैना के अपील प्रकरण क्रमांक 17/94-95 का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 9/88-89 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 20.6.89 से ग्राम सिरमिती स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 466 रकबा 2 वीघा 5 विसवा एंव सर्वे क्रमांक 470 रकबा 15 विसवा पर आवेदक को वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान की गई थी किन्तु राजस्व निरीक्षक व्दारा जब भूमि का मौका मुआयना किया तब मौके पर आवेदक द्वारा वृक्षारोपण न करके सरसों की फसल बोना तथा कुछ भाग पड़त पड़े रहना पाया गया, इस प्रकार आवेदक ने वृक्षारोपण हेतु दी गई अनुमति की

शर्तो का उल्लॅघन करना पाये जाने से नायव तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 29/1990-91 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 24-7-91 से वृक्षारोपण अनुमति निरस्त की है जिसके कारण कलेक्टर मुरैना एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग ने नायव तहसीलदार के आदेश को यथोचित पाते हुये हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 65/1998-99 अपील में पारित दि. 11.01.01 विधिवत् पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अस्तु निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर